राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 276/2022 दायर तारीख 19.09.2022

अनवान

01 शिवकुमार पुत्र रतनलाल जाति सुनार उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

..........प्रार्थी

बनाम

01 सोहनी देवी पत्नी राधेश्याम जाति बारेठ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02 लाड देवी पुत्री मांगीलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03 लीला देवी पुत्री मांगीलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
04 फूमा देवी पत्नी मांगीलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
05 सुन्दर पुत्र हरदेव जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
06 भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)।

..........विपक्षीगण

उपस्थित :–

1. श्री ब्रह्मप्रकाश तिवाड़ी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. सरकार पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

निर्णय :–

दिनांक :– 05/08/2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध विपक्षी पेश कर निवेदन किया की मुझ प्रार्थी की स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बिजौलियां खुर्द पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द स्थित आराजी संख्या 68 रकबा 0.3966 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। जिस पर आने जाने के लिए 15 फीट चौड़ा आराजी संख्या 67 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2321/90 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, आराजी संख्या 2021/90 रकबा 0.0809 हैक्टेयर में नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित अनुसार होता हुआ प्रार्थी की

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

ाराजीयात में प्रवेश करता हैं। प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर अपनी आराजी मे ाता जाता है। विपक्षीगण की उक्त भूमि आराजीयत मे से होकर गुजरने वाला रास्ता ाजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे मे तरमीम नही होने से प्रार्थी को उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग ाविष्य में अवरूद्ध होने का अन्देशा बना रहता है। जबकि उक्त रास्ता वर्षो से पुराना होकर उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपनी आराजी मे आने जाने, ट्रेक्टर, ट्रोली, वाहन, ालगाड़ी लाने ले जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। इस कारण ार्थी अपनी खातेदारी आराजी मे आने जाने के उक्त 15 फीट चौडे रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज एवं नक्शे मे तरमीम करवाने का निवेदन किया है, और प्रार्थी की उक्त आराजीयात मे जाने वाले उक्त 15 फीट चौड़े रास्ते को रिकॉर्ड मे लेने के बदले मे तय केये जाने वाला सरकारी मूल्य के आधार पर मुआवजी भुगतान को तैयार है।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गयी।

प्रकरण में विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुयी। उक्त प्रकरण में मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलियां से तलब की गयी तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2025/1254 दिनांक 29.07.2025 में अंकित किया कि ग्राम बिजौलियां खुर्द में आ0नं0 68 रकबा 0.3966 है0 भूमि प्रार्थीगण शिवकुमार 1/2 सुरेश 1/2 पिता रतनलाल सुनार सा. देह के नाम पर खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि पर पहुच हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है। प्रार्थीगण पूर्व में दर्ज बिलानाम गेमु0 रास्ता आ0नं0 66 रकबा 0.3966 है0 से आ0नं0 67 की दक्षिणी मेड व आ.नं. 2021/90 व आ.नं. 2321/90 की उतरी मेड के सहारे–सहारे 15 फीट चौडा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना चाहते है। ग्राम बिजौलियां खुर्द की आ.नं. 66 रकबा 0.3966 है0 बिलानाम गेमु0 रास्ता से लगता हुआ रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीगण द्वारा 15 फीट का रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये प्रस्तावित रास्ते को सलंग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है । विवरण निम्नानुसार हैं :–

क्र. सं.	आ0नं0	कुल रकबा (है0 में)	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा (है0 में)	शेष रकबा
1.	67	0.4047	0.0101	0.3946 है0
2.	2021/90	0.0809	0.0064	0.0745 है0
3.	2321/90	0.0809	0.0034	0.0775 है0
	कुल		0.0199	

उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर नही है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि खनिज संभावित व स्वीकृत खनन क्षेत्र से 250 मीटर से अधिक दूरी पर है। तथा आबादी से 650 मीटर की दूरी पर है, तथा एन.एच. व एस.एच. से 01 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है।

ग्राम बिजौलियां खुर्द की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी नं0 67, 2021/90, 2321/90 कुल किता 3 मे से रकबा 0.0199 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 780300/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 15528/– रूपये का दुगुना से 31056/– रूपये की राशि बनती है।

लगातार पेज संख्या 03 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

अतः मौका रिपोर्ट, नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस की प्रतियां सलंग्न की है।

प्रकरण में बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी सरकार पैरोकार की सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता, पैरोकार की बहस पर किया उक्त प्रस्तावित रास्ता दिये जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार बिजौलिया ने अपनी में अंकित किया कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में र दर्ज नही हैं।

—: आदेश :—

अतः प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थी को स्वयं की खातेदारी भूमि मौजा बिजौलियां खुर्द पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द स्थित आराजी संख्या 68 रकबा 0.3966 र भूमि में पहुंच मार्ग (रास्ते) हेतु ग्राम बिजौलियां खुर्द की आराजी नं0 67, 2021/90, /90 कुल किता 3 में से रकबा 0.0199 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रेकॉर्ड में गै0मू0 रास्ता डिया) अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम बिजौलियां खुर्द की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी नं0 67, 2021/90, /90 कुल किता 3 में से रकबा 0.0199 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 780300/- रू0 है0 से भूमि की मालियत 15528/- रूपये का दुगुना से 31056/- रूपये की राशि है। बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर न्तर्गत रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार लिया को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 05/08/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां